राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812,
ई–मेल :– pcpndt-rj@nic.in

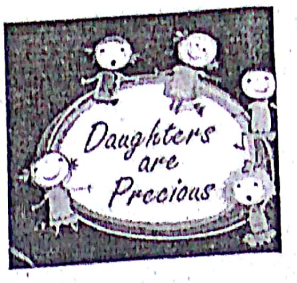

क्रमांक : रा0पी0प्र0 / एल0ए0 / 2018 / 782

दिनांक : 25/9/18

समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

(जरीये जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी)।

विषय :– चिकित्सक के विरूद्ध पीसीपीएनडीटी के तहत प्रकरण दर्ज होने पर चिकित्सा व्यवसाय करने की अनुमति के क्रम में।

संदर्भः– संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.1(सामान्य) चिस्वा / ग्रुप–3 / विधि / 2018 दिनांक 17.07.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषय में विधि विभाग द्वारा पत्रवाली पर दी गई राय अनुसार प्राप्त संदर्भित पत्र प्रेषित कर लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(संलग्नः– उपरोक्तानुसार।)

(नवीन जैन)
अध्यक्ष,
राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
शासन सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर, राजस्थान को सूचनार्थ।
4. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को पालनार्थ।
5. समस्त जिला समन्वयक (पीसीपीएनडीटी) राजस्थान को पालनार्थ।
6. सर्वर रूम।
7. रक्षित पत्रावली।

अध्यक्ष,
राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
शासन सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर।

क्रमांकः प.1(सामान्य) चिस्वा/ग्रुप–3/विधि/2018/ दिनांक : 17 JUL 2018

मिशन डायरेक्टर,
एन0 एच0 एम0, जयपुर।

विषयः– चिकित्सक के विरूद्ध पी.सी.पी.एन.डी.टी. के तहत प्रकरण दर्ज होने पर चिकित्सा व्यवसाय करने की अनुमति के क्रम में।

इस विभाग को कुछ चिकित्सकों (रेडियोग्राफी) से विषयान्तर्गत अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विधि एवं विधिक कार्य विभाग से राय चाही गई थी कि किसी चिकित्सक के विरूद्ध गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के तहत अभियोग दर्ज होने पर उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने से पूर्व उसके पंजीकरण को आयुर्विज्ञान परिषद से निलम्बित/रद्द किये बिना वह किसी अन्य केन्द्र पर सोनोग्राफी चिकित्सक के रूप में प्रेक्टिस करने के लिए अधिकृत है अथवा नहीं।

विधि विभाग द्वारा राय व्यक्त की गई है कि विधिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी भी आनुसंशिकी सलाह केन्द्र, आनुसंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लीनिक द्वारा 'अधिनियम, 1994' के तहत पंजीकृत होने के उपरान्त ही प्रसव पूर्व निदान–तकनीकों से सम्बन्धित कोई क्रियाकलाप किया जा सकता है, जिनमें आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीबद्ध चिकित्सक द्वारा ही सेवाऐं प्रदत्त की जा सकती हैं। यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी 'अधिनियम, 1994' एवं गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1996 के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये जाने पर, मामले के निस्तारण तक अथवा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर, समुचित प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद को प्रथमतः उसके पंजीकरण को निलम्बित करने हेतु रिपोर्ट किया जावेगा।

उक्त अधिनियम व नियमों के उल्लंघन बाबत सम्बन्धित चिकित्सक के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने पर सम्बन्धित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा जब तक ऐसे चिकित्सक का पंजीकरण निलम्बित अथवा निरस्त नहीं कर दिया जाता, वह ऐसे किसी आनुसंशिकी सलाह केन्द्र, आनुसंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक में चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है, जिसके विरूद्ध उक्त 'अधिनियम, 1994 और उसके तहत बनाये गये किसी नियम के उल्लघंन का कोई मामला न्यायालय में लम्बित न हो।

अतः उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी प्रकरणों में विधि विभाग द्वारा दी गई राय के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पी.सी.पी.एन.डी.टी. मेडिकल एण्ड हेल्थ एवं परिवार कल्याण राजस्थान, जयपुर।

उप विधि परामर्शी